



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14022026-270143
CG-DL-E-14022026-270143

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 721]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 12, 2026/माघ 23, 1947

No. 721]

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 12, 2026/MAGHA 23, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 फरवरी, 2026

का.आ. 759(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि गुजरात राज्य के नवसारी जिले में NH-56 के कि.मी. 665.686 से कि.मी. 710.470 तक के भूखण्ड का निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में भी दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप/आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् प्रांत ऑफिसर एंड सब डिवीजनल ऑफिसर, वांसदा को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप

में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

गुजरात राज्य के नवसारी जिले में के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-56 खानपुर- करवड के कि.मी. 665.686 से कि.मी. 710.470 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: गुजरात			जिले का नाम: नवसारी		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: वांसदा					
गांव का नाम: बारताड (खा)					
1	767 (Old survey No 589)	निजी	कृषि	0.02 (हेक्टेयर)	0.02
2	771 (Old survey No 586)	निजी	कृषि	0.12 (हेक्टेयर)	0.12
3	790 (Old survey No 625/2)	निजी	कृषि	0.0061 (हेक्टेयर)	0.0061
4	791,792 (Old survey No 627/1,627/2)	निजी	कृषि	0.012 (हेक्टेयर)	0.012
5	793 (Old survey No 626)	निजी	कृषि	0.02 (हेक्टेयर)	0.02
6	River	सरकारी	नदी	0.1038 (हेक्टेयर)	0.1038
7	Road	सरकारी	रोड	2.3108 (हेक्टेयर)	2.3108
गांव का नाम: खानपुर					
8	163 (Old Survey No 164)	निजी	कृषि	0.0017 (हेक्टेयर)	0.0017

9	164 (old Survey no 102/2)	निजी	कृषि	0.0017 (हेक्टेयर)	0.0017
10	165(old Survey no 102/1)	निजी	कृषि	0.0021 (हेक्टेयर)	0.0021
11	182	सरकारी	रोड	1.3529 (हेक्टेयर)	1.3529
Total					3.9511

[फा. सं. Bodeli-Vapi-2022/3A2/3A2]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 12th February, 2026

S.O. 759(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder etc.), maintenance, management and operation of NH56 in the stretch of land from Km 665.686 to Km 710.470 (Length-44.784) in the district of NAVSARI in the state of GUJARAT, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Prant Officer, Vansda in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the Land to be Acquired with or without Structure, on Khanpur - Karwad National Highway 56
Falling in the Stretch of Land from Km. 665.686 to Km. 710.470 (Length 44.784) in the District of Navsari in the
State of Gujarat

State: GUJARAT			District: NAVSARI		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Vansda					
Village: Bartad(Kha)					
1	767 (Old survey No 589)	Private	Agriculture	0.02 (Hectare)	0.02
2	771 (Old survey No 586)	Private	Agriculture	0.12 (Hectare)	0.12

3	790 (Old survey No 625/2)	Private	Agriculture	0.0061 (Hectare)	0.0061
4	791,792 (Old survey No 627/1,627/2)	Private	Agriculture	0.012 (Hectare)	0.012
5	793 (Old survey No 626)	Private	Agriculture	0.02 (Hectare)	0.02
6	River	Government	River	0.1038 (Hectare)	0.1038
7	Road	Government	Road	2.3108 (Hectare)	2.3108
Village: Khanpur					
8	163 (Old Survey No 164)	Private	Agriculture	0.0017 (Hectare)	0.0017
9	164 (old Survey no 102/2)	Private	Agriculture	0.0017 (Hectare)	0.0017
10	165(old Survey no 102/1)	Private	Agriculture	0.0021 (Hectare)	0.0021
11	182	Government	Road	1.3529 (Hectare)	1.3529
Total					3.9511

[F. No. Bodeli-Vapi-2022/3A2/3A2]

SHAIKH AMINKHAN, Director